(घ) नकद मुआवजा सहायता निर्धारित करने का आधार उत्पादन की लागत के संबंध में एफ ओ बी वसूली अर्थात् विदेशी केताओं द्वारा दी गई कीमत तथा वह कीमत है जिस पर विदेशों में प्रतियोगिता के आधार पर माल का विपणन किया जा सके।

मैसर्स ग्वालियर रेयन्स द्वारा विस्कोटस स्टेपल फाइबर का लाइसेंस के बगैर उत्पादन

991. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 मई, 1982 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 678 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्वालियर रेयन्स कब से बिना लाइसेंस विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादन करते रहे हैं और सरकार को इसकी जानकारी कब हुई ;

(ख) बिना लाइसेंस उत्पादन का माल विक्री के लिये कम्पनी से बाहर कैसे गया और उस पर टैक्स वसूल करने का आधार क्या था ; और

(ग) लाइसेंस के बगैर उत्पादन करने के लिये इस कम्पनी को बैंक-ऋण दिये जाने का आधार क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मैसर्स ग्वालियर रेयन्स के पास नागदा में विस्कोस स्टेपल फाइबर के 2000 मी० टन के विनिर्माण के लिये दिनांक 27-9-58 का औद्योगिक लाइसेंस है। उस निरीक्षण दल के अनुसार जिसने 29-9-68 को मवूर स्थित मै० ग्वालियर रेयन्स यूनिट का दौरा किया उसके अनुसार इस फर्म ने 10-6-68 को या उसके आसपास मवूर में बिना लाइसेंस के विस्कोस स्टेपल फाइबर का विनिर्माण आरंभ कर दिया था।

(ख) विस्कोस स्टेपल फाइबर के लिये मांग को देखते हुए विपणन की कोई समस्या नहीं थी। शुल्क देय है चाहे यूनिट अधिकृत है अथवा नहीं।

(ग) कंपनी ने बताया कि मवूर स्थिति स्टेपल फाइबर यूनिट का खर्च उनके अपने आंतरिक साधनों से पूरा किया गया।

Import of parts of colour T.V.

992. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI ARVIND GANESH KULKARNI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state what are the details including cost regarding the parts of colour T.V. to be imported, from where these parts would be imported and the terms and conditions involved in the deal?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): Applications for import of parts and components of colour television sets have been received. Information regarding the details from which of the imports to be made, the price at which imports would be made, the sources from which parts would be imported and the terms and conditions involved in the import deal, are not available at this stage.

Recruitment Rules for pre-Shipment Inspection

993. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the Recruitment Rules both Graduates and Diploma holders are eligible for appointment to the post of Asstt. Director and Inspecting Officers for pre-shipment inspection;

(b) whether these Rules treat both Graduates and Diploma holders at